न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतन लाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0––111/2019
प्रविष्टि दिनांक ––6.9.2019
निर्णय दिनांक––29.1.2020

उनवान

1. श्योजीलाल पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुर खेडा, तहसील व जिला टोंक
2. राजूलाल पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुर खेडा, तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. बालूराम पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
2. कालूराम पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
3. हीरालाल पुत्र नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
4. सम्पता पुत्री नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुर खेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
5. संतोक पत्नी नन्दा जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
6. भंवरलाल पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
7. लाला पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
8. लादूलाल पुत्र नानूलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
9. रामेश्वर पुत्र नानूलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
10. कमला पुत्री नानूलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
11. नोसर पुत्री नानूलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
12. कान्हा पुत्र जीवण जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
13. ताराचन्द पुत्र सुखलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
14. मैना पुत्री सुखलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
15. द्वारका देवी पतनी सुखलाल जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
16. किशनलाल पुत्र दूला जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक
17. रामलाल पुत्र दूला जाति जाट निवासी ग्राम अमीरपुरखेडा, पंचायत छान, तहसील व जिला टोंक

अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री विजय बहादुर सिंह,–अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री पी0के0 जैन– अभिभाषक अप्रार्थी 16

वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत–अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक–29.1.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण वादीगण ने अपने वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 308 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 311 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम अमीरपुर खेडा तहसील व जिला टोंक मे स्थित है जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण की संयुकत खातेदारी मे है। उक्त भूमि मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है शेष हिस्सा विपक्षीगण का है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण बहामी बंटवार कर,

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत तकासमा नही हुआ है। प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य करते है परन्तु विपक्षी सं0 1 ता 15 प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे आये दिन मजाहमत व हस्तक्षेप करते रहते है। मेडो को तोडते रहते है। प्रार्थीगण को धमकी देते रहते है कि जमीन किसी अन्य को बेचान कर देंगे। उक्त समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य तकासमा किया जाकर पृथक से खाता कायम किया जावे। अतः जब तक उक्त भूमि का विधिवत तकासमा नही हो जाता , तब तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि मे अपने हक व हिस्से को बिना विधिवत तकासमा कराये बेचान नही करे तथा प्रार्थीगण के हिस्से मे मजाहमत नही करे। विपक्षी सं0 17 व 17 का वादग्रस्त आराजी से कोई सरोकार नही है। ये दोनो बदमाश प्रवृति के है जो जबरन लठ के बल पर कब्जा करने पर अमादा है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। इसलिए इन्हे भी वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 17 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थनापत्र अस्वीकार है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य कभी विभाजन नही हुआ है। प्रतिपक्षी सं0 17 का उक्त भूमि पर वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण सं0 16 व प्रतिपक्षी सं0 17 मृतक किशनलाल के वारिस को नाजायज रूप से हैरान परेशान करने के लिए झूठा दावा व प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण का कब्जा नही है अपितु उक्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं0 17 का कब्जा काश्त है। संयुक्त खातेदारी की भूमि मे से सहकृषक का हिस्सा बेचान किया जा सकता है। इस पर कोई कानूनी पाबन्दी नही है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी सं0 17 की पैतृक भूमि है जो भाई बंटवारे मे वर्षो पहले प्रतिपक्षी सं0 16 व 17 के हिस्से मे आई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होने का तथ्य गलत है। प्रतिपक्षी सं0 17 के विरूद्ध झूठे आरोप लगये गये है। प्रतिपक्षी सं0 16 के स्थान पर उसका वारिस एवं प्रतिपक्षी सं0 17 काबिज है। प्रार्थनापत्र झूठा होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नजरी नक्शा , जमाबंदी संवत 2071–74, खसरा गिरदावरी संवत 2075 आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गयें।

प्रकरण मे विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपने–अपने कथनो को दोहराया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण के हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। प्रार्थनापत्र के अनुसार जमाबंदी संवत 2071–74 मे अंकितानुसार भूमि संयुक्त रूप से प्रार्थीगण व विपक्षीगण की खातेदारी मे होना साबित है साथ ही खसरा गिरदावरी संवत 2075 के अनुसार भी विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना अंकित है। विपक्षीगण सं0 1 ता 15 का बावजूद सूचना के किसी प्रकार से जवाब नही दिया जाना, प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। प्रतिपक्षी सं0 17 के जवाब के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर उनका कब्जा है लेकिन खसरा गिरदावरी मे उनका कब्जा अंकित नही है उनके द्वारा यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि प्रतिपक्षी सं0 17 की पैतृक भूमि है जो भाई बंटवारे मे वर्षो पहले प्रतिपक्षी सं0 16 व 17 के हिस्से मे आई है लेकिन इस कथन की पुष्टी पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज या गवाह से नही होती है। साथ ही उनका उक्त विवादित भूमि से किस प्रकार संबंध है, यह भी किसी दस्तावेज से साबित नही होता है। प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है। इसलिए पृथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। प्रतिपक्षी सं0 17 के जवाब प्रार्थनापत्र मे अंकितानुसार वर्षो से उक्त भूमि पर उनका कब्जा होना अनाधिकृत प्रतीत होता है साथ ही प्रार्थीगण की भूमि मे हस्तक्षेप किया जाना भी साबित होता है। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो की पुष्टी प्रतिपक्षीगण 17 द्वारा स्वयं ही कर दी गई है कि उनके द्वारा बिना किसी हक व अधिकार के उक्त विवादित भूमि मे हस्तक्षेप किया जा रहा है। चूंकि वर्तमान मे उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 15 की संयुक्त खातेदारी मे अंकित है लेकिन प्रतिपक्षी सं0 17 का उक्त भूमि से कोई संबंध स्पष्ट अथवा साबित नही होता है उनके द्वारा जबरन उक्त

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

भूमि पर कब्जा बताया जा रहा है। अप्रार्थी सं0 17 द्वारा अपने जवाब मे यह भी स्पष्ट नही किया है कि उनका उक्त विवादित भूमि पर क्यो और किस प्रकार हक हिस्सा है और ना ही अपने कथनानुसार कब्जा होने की पुष्टि मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । मात्र मौखिक कथन के आधार पर न्यायालय निर्णय नही कर सकता है। प्रतिपक्षी सं0 17 के अनाधिकृत रूप से कब्जा करने से प्रार्थीगण का हित प्रभावित हो सकता है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होने के कारण प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर, वाद निर्णय तक प्रतिपक्षीगण को पावन्द किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 308 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 311 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम अमीरपुर खेडा तहसील व जिला टोंक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा, पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि मे प्रार्थीगण के हिस्से मे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे। वादग्रस्त भूमि को बिना विधिवत तकासमा कराये बेचान नही करे। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 29/1/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(रतन लाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner